तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3589/2004/भीलवाडा</u>** **रतन लाल बनाम रामेश्वर लाल व अन्य**	
6.2.2020	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री सी.पी.पारासर अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री हरदत सहारण अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u> <u>दिनांक :</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 26–5–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 रामेश्वर ने अधिनियम की धारा 251के तहत एक प्रार्थनापत्र तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी रतनलाल की आराजी खसरा नम्बर 3840/1 रकबा 1 बीघा 14विस्वा एवं खसरा नम्बर 3840/2 रकबा 1 बीघा 15विस्वा भूमि पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण रूपलाल भैरू लाल ने बन्द कर दिया है इसलिये उसे खुलवाया जावे। बाद सुनवाई तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 22–5–99 के द्वारा रास्ता खोलने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–5–2004 के द्वारा अपील मियाद बाहर मानते हुये खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3589/2004/भीलवाडा</u>** **रतन लाल बनाम रामेश्वर लाल व अन्य**	
	निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खेत में होकर पूर्व में भी एवं आज भी कोई रास्ता मौजूद नहीं है तथा न ही राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के खेत में होकर कोई रास्ता है। तहसीलदार ने प्रार्थी के खेत में से होकर रास्ता खोलने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्यों की जांच किये अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया जबकि अवैधानिक आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। तहसीलदार का आदेश अवैधानिक था क्योंकि प्रथम 45 दिन तक ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार होता है यदि प्रथम 45 दिन में ग्राम पंचायत कोई आदेश पारित नहीं करें तो उसके बाद तहसीलदार कार्यवाही करने के लिये सक्षम होते हैं। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जावें। 5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी उपस्थित रहा है और निर्णय में उसकी उपस्थिति दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–5–99 की अपील वर्ष 2002में प्रस्तुत की गई है जिसका कोई सन्तोषजनक एवं पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3589/2004/भीलवाडा</u>** **रतन लाल बनाम रामेश्वर लाल व अन्य**	
	है तहसीलदार द्वारा मौका देखकर और अतिक्रमण पाये जाने पर रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य है। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–5–99 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार भीलवाडा के न्यायालय में प्रार्थी रतन लाल उपस्थित रहा है। तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–5–99 के विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2002 में काफी विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है जिसका कोई युक्तियुक्त एवं सन्तोषजनक कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में नहीं बताया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। यदि प्रकरण के गुणावगुण पर भी विचार किया जावे तो तहसीलदार ने मौका देखकर और रास्ता बन्द पाये जाने पर रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये हैं। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आक्षेपित निर्णयों में निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षपे की आवश्यकता नहीं है। निगरानी के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि की हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./3589/2004/भीलवाडा</u>** **रतन लाल बनाम रामेश्वर लाल व अन्य**	
	४– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	